न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/284/2016

उनवान

1. शांति लाल पिता चुन्नी लाल महाजन (मृतक के कायम मुकाम)
   1/1 विनोद कुमार पिता स्व0 शांतिलाल महाजन
   1/2 कैलाश पिता स्व0 शांतिलाल महाजन
   1/3 अरविंद कुमार पिता स्व0 शांतिलाल महाजन
   1/4 श्रीमति सुशीलादेवी पत्नि स्व0 शांतिलाल महाजन समस्त निवासियान हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. जगदीश चन्द्र पिता चुन्नी लाल महाजन (मण्डोवरा)
3. रामगोपाल पिता भॅवर लाल महाजन (मण्डोवरा)
4. रामनिवास पिता भॅवर लाल महाजन (मण्डोवरा) समस्त निवासियान हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिय जिलाधीश, भीलवाडा
2. कबीरद्वारा स्थान देह (हमीरगढ) जरिये उपायुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर
3. नामदेव छीपा समाज वाके हमीरगढ के प्रतिनिधि लादू लाल पिता नाथू लाल संरक्षक, बनवारी लाल पिता देवी लाल छीपा, अध्यक्ष, घीसु लाल पिता रामबक्ष छीपा –मंत्री, सत्यनारायण पिता बंशी लाल छीपा –कोषाध्यक्ष, समस्त निवासियान हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 201/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.6.2016

अधिवक्तागण :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 5 की कब्जेयाबी व स्वामित्व की आराजी नम्बर 1321 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1323 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1324 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1325 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1326 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात के हाल भू प्रबन्ध में नये नम्बर निम्न प्रकार बने हैं। आराजी नम्बर 2130 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2140 रकबा 3 बिस्वा चाह, आराजी नम्बर 2141 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 2143 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 3 व 4 का व शंकर लाल/रतन लाल पिता गुलाबचन्द का 1/2 हिस्सा है। तथा इसी अनुसार मोके पर वक्त खरीद से आज तक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात को वादीगण के पिता तथा शंकर लाल व रतन लाल के पिता स्व0 गुलाबन्द जी ने लाला गुर्जर से क्रय संवत 1992 में तत्कालीन जागीरदार से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पट्टा प्राप्त किया तथा क्रय की गई आराजियता के पडौस निम्न प्रकार है :–
पूर्व :– गनसीराम जी डाड तथा देव तिवाडी
पश्चिम :– नरसिंह महाराज के मंदिर की डोली
उत्तरः– भगवानदास जी का मंदिर
दक्षिण :– रास्ता

क्रय से उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। संवत 2008 की जमाबंदी में भी वादीगण को खातेदार काश्तकार की हैसियत से खाते में दर्ज कर रखा है तथा हांसल लेने वाले मालिक का नाम कबीरद्वारा स्थानदेह दर्ज किया हुआ है, लेकिन संवत 2018 से 2021 की जमाबंदी में वादीगण के साथ–साथ पुजारी का नाम भी काश्तकार की हैसियत से खाते में दर्ज कर दिया गया जो कतई अवैध इन्द्राज था। संवत 2022 से 2025 की जमाबंदी में वादीगण के साथ–साथ कबीरद्वारा स्थान देह भू स्वामी की हैसियत से केवल लगान लेने का अधिकारी था । जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो भू स्वामी की जगह राजस्थान सरकार आ गई तथा वादीगण तथा शंकर लाल व रतन लाल महात्मा, कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार रह गये । वादीगण के साथ–साथ कबीरद्वारा का नाम दर्ज किया जो कतई गलत अवैध इन्द्राज है। सन् 1991 दिनांक 13.12.1991 से वादीगण का कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में संवत 2044 से 2048 की जमाबंदी में से बिना किसी अधिकारिता के खाते से नाम हटा दिया तथा खातेदार कृषक की जगह कबीरद्वारा का नाम दर्ज कर दिया जो एक अवैध इन्द्राज होने से निरस्तनीय है।

2. वादग्रस्त आराजियात जो कि कलम संख्या 1 में वर्णित है से कबीरद्वारा का कुछ भी लेना–देना नहीं है,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कबीरद्वारा स्थानदेह का अधिकार केवल हांसल लेने का था जो राजस्थान सरकार बनने के बाद जागीरी (रिजबसन) बन्द होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गया तथा वादीगण खातेदार काश्तकार थे, जिनका अवैध तौर से नाम हटा दिया जो वापस खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। सन् 1979 से उक्त आराजियात पर वादीगण का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से भी वर्षो पहले इन आराजियात पर वे काबिज हो काश्त कर रहे हैं , जिनको खातेदारी, अधिकार स्वतः प्राप्त है। फिर भी उनका नाम जमाबदी से हटा दिया जो वापस दर्ज कराने के वादीगण अधिकारी हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन जागीरदार को शुल्क जमा कराकर पट्टे प्राप्त कर कब्ज प्राप्त किया है । जिनके पडौस विक्रय पत्र में वर्णित किया है। जिन पडौसों के मध्य स्थित आराजियात विक्रय पत्र में वर्णित है उस पर अपीलार्थीगण काबिज होने से खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। जिनको जमाबंदी में से अवैध तौर से नाम हटाया गया है अतः उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कर वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। अतः वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात में से वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 3, 4 शंकर लाल, रतन लाल पिता गुलाबचन्द महात्मा निवासी हमीरगढ का 1/2 हिस्सा~~हिस्सा~~ खाते में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित करें। तथा कबीरद्वारा स्थान देह का नाम खाते से हटाया जावे एवं इसी तरह राजस्व रेकार्ड में भी दुरूस्ती का आदेश पारित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्ण एवं डिक्री द्वारा वादिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.6.2016 को अपीलार्थीगण केम्प कोर्ट हमीरगढ प्रशासन गांवों के संग में गये थे, सायंकाल तक बैठे रहे पत्रावली जो नहीं निकली । जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि तुम्हारी पेशी वापिस कोर्ट में पडेगी । जिस पर अपीलार्थीगण वापिस आ गये तथा कोर्ट से जानकारी की तो तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 की पेशी रजिस्टर में दे रखी थी। तथा दिनांक 13.7.2016 की सारी पेशियॉ दिनों 19.10.2016 को दी गई। दिनांक 19.10. 2016 को पत्रावली की जानकारी की तो पत्रावली पेशी में नहीं निकली । फैसल रजिस्टर को देखा तो उसमें भी दर्ज नहीं थी। सारी फैसल पत्रावलियों को देखा तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है।। अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह कयास लेकर कि इन्ही आराजियात से संबंधित एक वाद पत्र प्रकरण संख्या 42/2009 का निर्णय हो चुका है इसलिए यह वाद पत्र निरस्त किया जाता है। जबकि अपीलार्थीगण का वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

घोषणा से संबंधित होकर इस वाद में अपीलाण्ट के हित तय होने थे जबकि दूसरा वाला वाद पत्र इस वाद पत्र के बाद का होकर केवल बेदखली का वाद पत्र था इस बिन्दु पर विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में न तो उभयपक्ष की शहादत हुई एवं न ही प्रकरण में किसी तरह का राजीनामा हुआ न ही दूसरे वाद को इस वाद पत्र में समेकित/संकलित किया गया । मनमकसूद तरीके से अपना रेकार्ड ज्यादा बताने के लिए अमूल्य जायदाद से संबंधित वाद पत्र को अकारण ही निरस्त किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.6.2016 को पारित किया गया है । उक्त दिनांक को अपीलार्थीगण प्रशासन गांवों के संग केम्प में गये थे वे सायंकाल तक बैठे रहे कोई निर्णय नहीं किया, न ही पत्रावली निकाली , बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे तथा पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में अपीलार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 5 की कब्जेयाबी व स्वामित्व की आराजी नम्बर 1321 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1323 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1324 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1325 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1326 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात के हाल भू प्रबन्ध में नये नम्बर निम्न प्रकार बने हैं। आराजी नम्बर 2130 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2140 रकबा 3 बिस्वा चाह, आराजी नम्बर 2141 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 2143 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 3 व 4 का व शंकर लाल/रतन लाल पिता गुलाबचन्द का 1/2 हिस्सा है। तथा इसी अनुसार मोके पर वक्त खरीद से आज तक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात को वादीगण के पिता तथा शंकर लाल व रतन लाल के पिता स्व0 गुलाबन्द जी ने लाला गुर्जर से क्रय संवत 1992 में तत्कालीन जागीरदार से पट्टा प्राप्त किया । सन् 1991 दिनांक 13.12.1991 से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण का कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में संवत 2044 से 2048 की जमाबंदी में से बिना किसी अधिकारिता के खाते से नाम हटा दिया तथा खातेदार कृषक की जगह कबीरद्वारा का नाम दर्ज कर दिया । वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण/वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 3, 4 शंकर लाल, रतन लाल पिता गुलाबचन्द महात्मा निवासी हमीरगढ का 1/2 हिस्साहिस्सा खाते में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित करें। तथा कबीरद्वारा स्थान देह का नाम खाते से हटाया जाने का निवेदन किया गया । प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.8.2006 को पंजिबद्ध किया गया । प्रकरण में दिनांक 7.11.2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया । जिसे दिनांक 29.8.2016 को स्वीकार किया गया । प्रकरण संशोधित टाईटल एंव जवाब हेतु लंबित रहा । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 31.3.2009 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण तनकियात कायम करने हेतु लंबित चल रहा था। उसके उपरान्त दिनांक 6.4.2016 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 नियत की गई।

12. दिनांक 13.7.2016 से पूर्व ही प्रकरण को केम्प कोर्ट हमीरगढ पर दिनांक 30.6.2016 को रखा गया । उक्त तारीख को आदेशिका में अंकित किया गया कि " वाद पत्र में अंकित आराजियात से संबंधित प्रकरण संख्या 42/2009 का निर्णय होने से पत्रावली खारिज की जाती है। " इस प्रकार अपीलाधीन प्रकरण का निस्तारण किया गया ।

13. अपीलार्थीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। जबकि प्रकरण संख्या 42/2009 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निस्तारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया था। अपीलाधीन प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकियात कायमी में प्रकरण लंबित चल रहा था। उसमें उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। मूल वाद मे पक्षकारों के हक हितों का बाद सुनवाई एव साक्ष्य सबूत के अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र में जो तथ्य अंकित किये थे उसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में वादी को अपने वाद में अंकित कथनों को साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक था। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात को क्रय कर कब्जा होने का कथन करते हुए वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि प्रकरण संख्या 42/2009 कब्जेयाबी का दावा था ।उसमें वादग्रस्त आराजियात कबीरद्वारा स्थानदेह के नाम दर्ज होने के आधार पर एवं कब्जा अपीलार्थीगण का होने से कब्जा पुनः वादी मंदिर मूर्ति के दिलाये जाने के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था। दोनों ही प्रकरण की विषयवस्तु भिन्न होने से अपीलाधीन प्रकरण का निस्तारण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2009 कब्जेयाबी के निस्तारण के आधार पर किये जाने को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

14. प्रकरण संख्या 42/2009 वर्तमान दर्ज रिकार्ड के आधार पर निस्तारित किया गया था, जिसकी अपील 289/2016 का निस्तारण भी पृथक पत्रावली पर अलग से लिखाया जा कर आज ही किया जा रहा है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को यह आवश्यक रूप से देखना चाहिये था कि वाद पत्र धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत है, तथा घोषणात्मक दावे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया अपना कर उभयपक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित किया जाना था। अपीलाधीन आदेश 30.6.2016 विस्तृत आदेश नहीं है, वरन संबंधित प्रकरण संख्या 42/2009 के निर्णय के आलोक में पत्रावली खारिज की गई है जो उचित नहीं है।

15. न्यायालय हाजा में दर्ज अपील संख्या 289/2016 एवं अपील संख्या 284/2016 में चूंकि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2138, 2140, 2141, 2142, 2143 कबीरद्वारा स्थानदेह हमीरगढ के नाम दर्ज होने एवं अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारान समान होने से दोनों ही पत्रावलियों को न्यायहित/राज्यहित में एकसाथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का समय जाया नही होगा । अधिनस्थ न्यायालय दोनों ही पत्रावलियों को एकसाथ ही सुनवाई कर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

16. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को यह आवश्यक रूप से देखना था कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने से घोषणात्मक दावे के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया अपनाकर उभयपक्षकारान को सुना जाकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों का गुणावगुण पर विवेचन कर विस्तृत आदेश पारित किया जाता। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2016 विस्तृत आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। चूंकि मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है तथा संरक्षक की स्थिति स्पष्ट नहीं है अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण संख्या 42 / 2009 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ग्राम हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2130 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2140 रकबा 3 बिस्वा चाह, आराजी नम्बर 2141 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 2143 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षक हेतु कब्जा राज्यहित में तहसील सरकार रखा जाना उचित समझते हैं। अपीलाण्टगण द्वारा मंदिर मूर्ति का संरक्षक होने बाबत कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण के लिए कोई अन्य संरक्षक होना भी प्रकट नहीं है। स्थानदेह कबीरद्वारा मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि के विकास हेतु ट्रस्ट बनाने अथवा संरक्षक / पुजारी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः विधिवत रूप से संरक्षक घोषित होने अथवा खातेदारी अधिकार बाबत कोई निर्णय होने तक विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में तहसीलदार हमीरगढ को धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संरक्षक रखा जाकर मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जा राज्यहित में तहसील सरकार लिये जाने का निर्णय सुनाया जाता है । अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.8.19 को उपस्थित रहें।

18. निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा